

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-7  
संख्या: 1481/नौ-7-2020-05(प्रयागराज)/2019  
लखनऊ दिनांक: 30 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, शासकीय अधिसूचना संख्या-2323/नौ-7-19-05(प्रयागराज)-2019 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची-1 में :-


पूरब में ग्राम मलावा खुर्द और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

ग्राम लोदीपुर

गाटा सं0-01 से 127

कुल गाटा सं0-127 ग्राम का कुल क्षेत्रफल 39.682 हेक्टेयर

आज्ञा से,

  
(दीपक कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1481 (1)/नौ-7-20-05 (प्रयागराज)/2019 दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे उक्त अधिसूचना को उ0प्र0 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

संख्या : 1481 (ii)/नौ-7-20-05(प्रयागराज)/2019 दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व, पंचायतीराज, ग्राम विकास, आवास एवं शहरी नियोजन तथा वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
2. सचिव राज्य निर्वाचन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
5. निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज लखनऊ
6. आयुक्त, ~~प्रयागराज~~ मण्डल, प्रयागराज।
7. जिलाधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगवायें तथा व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

आज्ञा से,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

**UTTAR PRADESH SHASAN  
NAGAR VIKAS ANUBHAG -7**

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-1481/9-7-2020-05 (Prayagraj)/ 2019, dated 30 December,2020.

**NOTIFICATION**

No- 1481 /9-7-2020-05(Prayagraj)/2019

Lucknow: Dated 30 December, 2020

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P.Act no. 2 of 1959), the Governor is pleased to make the following amendment in the Government Notification No.2323/IX-7-19-05(Prayagraj)-2019 dated 31 December, 2019 :

**AMENDMENT**

In the aforesaid notification, in Schedule-1 :-

in east side after Village Malawa Khurd and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely:-

**Village Lodipur**

Gata no. 01 to 127

Total Gata no. 127, Total Area of Village- 39.682 Hectare

Order by



**(Deepak Kumar)**

Principal Secretary.